रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1972/चैत्र 26, 1894

No. 116] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1972/CHAITRA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th April, 1972

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of ction 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), and in pursuance of le 7 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the entral Government, after consultation with the State Governments concerned d the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulaons further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Cometitive Examination) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Competitive Examination)—Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1955, in condition (ii) of regulation 4, for the figures "24", the figures "26" shall be substituted.

[No. 1/3/72-AIS(I)-(A).]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1972

सा० सां० नि० 245(अ). अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय प्रशासन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) —संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में विनियम 4 के प्रतिबन्ध (ii) में "24" अंक के स्थान पर "26" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं० 1/3/72—भा०प्र०से०—1(क)]

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), and in pursuance of rule 7 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the State Governments concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination), Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination), Regulations, 1955, in condition (ii) of regulation 4, for the figures "24", the figures "26" shall be substituted.

[No. 1/3/72-AIS(I)-(B).]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

सा० सां० नि० 246(अ);—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ

लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति)-संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में विनियम 4 के प्रतिबन्ध (ii) में "24" अंक के स्थान पर "26" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं० 1/3/72-ग०प्र०से०-1(ख)]

अ्शा० आर० आर्जे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972